Manufacture of pulp and paper in India and USSR

"~ 1?24. SHRI RARVATHANEN1 UPENDRA; Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are consider ing proposals for establishing joint ven tures in India and USSR for the manu facture of pulp and paper; ana

(b) if so, what are the details of the proposals and the decision of Government on the same?

*^THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DE-VELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHA-LAM): (a) and (b) Explanatory talks have been held between the officials of USSR and India on the poaibflitjr of mutual cooperation in the field of pulp and paper manufacture, including setting up of joint ventures. However, concrete proposals are yet to emerge in this regard.

दिल्ली में किरायेदारों को विद्युत कनेक्शन

1925. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य में किरायेदारों को घरेलू व वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन दिये जाने के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मकान-दार द्वारा "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" न दिये जाने की दशा में किरायेदारों को नया कनेक्शन नहीं दिया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिल्ली में घरेलू/वाणिज्यिक कनेक्शन स्वीकृत करने की प्रक्रिया, दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश, 1959, सांविधिक कानून/नियम, दिल्ली प्रशासन के अनुदेश, सप्लाई की शर्तें तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा नियंत्रित होती है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, कोई भी किरायेदार निर्धारित फार्म के साथ किराये की नवीनतम रसीद आदि जैसे वैध कब्जा के लिखित प्रमाण, तथा निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने पर किसी विद्युतीकृत क्षेत्र में घरेलू/वाणिज्यिक बिजली के कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता है । नवीनतम किराए की रसीद अथवा अन्य किसी प्रकार का लिखित प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने पर, जिस अहाते के लिए कनेक्शन लिया जा रहा है, उसके लिए वैध निवास हेतु क्षतिपूर्ति बांड सहित हल्फनामा भी प्रस्तुत किया जा सकता है । किसी भी किराएदार द्वारा घरेलू/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बिजली का कनेक्शन लेने हेतु डेसू द्वारा मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए आग्रह नहीं किया जाता है ।

नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में, अगर कोई किराएदार किराएदारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है ।

बिजली का नकली सामान बनाने वाली फर्म

1926. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स नाम भारी इलेक्ट्रीकल वर्कस, सी.-568 नई